इग्नू
जन जन का
विश्वविद्यालय

सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

BPCS 184
विद्यालय मनोविज्ञान

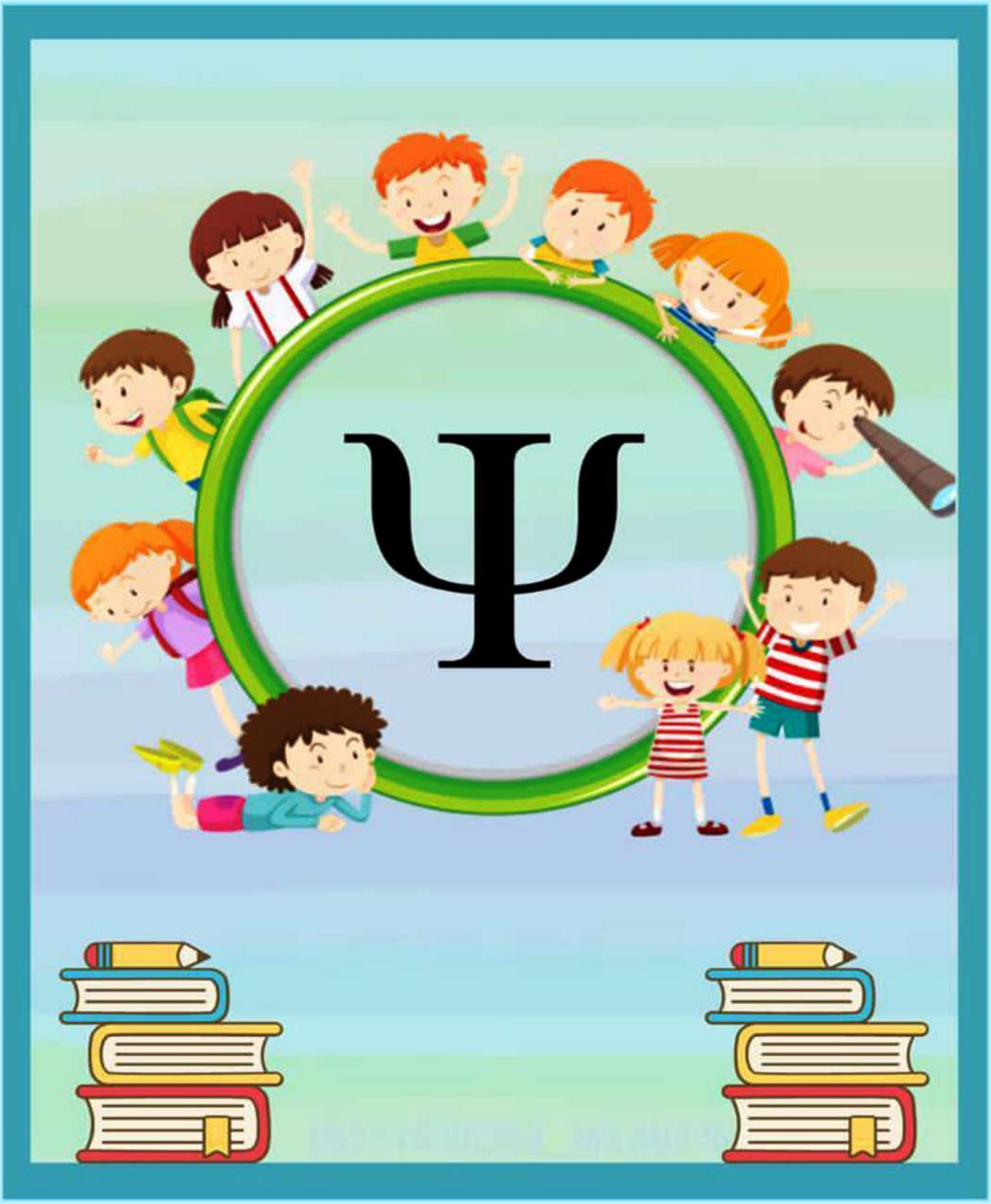

BPCS-184

विद्यालय मनोविज्ञान

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

विशेषज्ञ समिति

प्रो. मंजुला एम,
राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान,
बेंगलुरू

प्रो. सुहास शेटगोवेकर
मनोविज्ञान संकाय
सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ
इग्नू, नई दिल्ली

प्रो. अनुराधा सोवानी
मनोविज्ञान विभाग
एस.एन.डी.टी. महिला विश्वविद्यालय
मुंबई

डा. मोनिका मिश्रा
मनोविज्ञान संकाय
सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ
नई दिल्ली

प्रो. स्वाति पात्रा
मनोविज्ञान संकाय
सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ
इग्नू, नई दिल्ली

डा. स्मिता गुप्ता
मनोविज्ञान संकाय
सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ
इग्नू, नई दिल्ली

पाठ्यक्रम संयोजक : डा. मोनिका मिश्रा, सह आचार्य, मनोविज्ञान संकाय सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ, इग्नू, नई दिल्ली

पाठ्यक्रम संपादक
डॉ. मोनिका मिश्रा, सह आचार्य, मनोविज्ञान संकाय, इग्नू, नई दिल्ली
डॉ. मोहसिन उद्दीन, सलाहकार, मनोविज्ञान संकाय, इग्नू, नई दिल्ली
निधि गुप्ता, विशेष शिक्षक (इकाई 4,7 और 8)

पाठ्यक्रम निर्माण समिति

		इकाई लेखक एवं हिंदी अनुवादक
खण्ड 1	**विद्यालय मनोविज्ञान का परिचय**	
इकाई 1	विद्यालय मनोविज्ञानः एक विहंगावलोकन	डा. ध्वनि पटेल, भूतपूर्व सहायक प्राध्यापक, महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय, वडोदरा **हिंदी अनुवादक** : श्री एम पी कमल, नई दिल्ली **पुनरीक्षण** : डा. मोहसिन उद्दीन, सलाहकार, मनोविज्ञान संकाय, सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ, इग्नू, नई दिल्ली
खण्ड 2	**बच्चों तथा किशोरों में विकासात्मक कारक**	
इकाई 2	मानव विकास का परिचय	डा. ध्वनि पटेल, भूतपूर्व सहायक प्राध्यापक, महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय, वडोदरा **हिंदी अनुवादक** : श्री एम पी कमल, नई दिल्ली **पुनरीक्षण** : डा. मोहसिन उद्दीन, सलाहकार, मनोविज्ञान संकाय, सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ, इग्नू, नई दिल्ली
इकाई 3	विकासात्मक सिद्धांत	डा. ध्वनि पटेल, भूतपूर्व सहायक प्राध्यापक, महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय, वडोदरा **हिंदी अनुवादक** : श्री एम पी कमल, नई दिल्ली **पुनरीक्षण** : डा. मोहसिन उद्दीन, सलाहकार, मनोविज्ञान संकाय, सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ, इग्नू, नई दिल्ली
खण्ड 3	**बच्चों तथा किशोरों में समस्या व्यवहार**	
इकाई 4	विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे	डा. ध्वनि पटेल, भूतपूर्व सहायक प्राध्यापक, महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय, वडोदरा **हिंदी अनुवादक** : श्री एम पी कमल, नई दिल्ली **पुनरीक्षण** : डा. मोहसिन उद्दीन, सलाहकार, मनोविज्ञान संकाय, सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ, इग्नू, नई दिल्ली
इकाई 5	बच्चों तथा किशोरों में आतंरिक समस्याएं	वृषाली पाठक, शोद्यार्थी, मनोविज्ञान विभाग, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली **हिंदी अनुवादक** : डा. रूपेन्द्र गुप्ता **पुनरीक्षण** : डा. मोहसिन उद्दीन, सलाहकार, मनोविज्ञान संकाय, सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ, इग्नू, नई दिल्ली

इकाई 6	बच्चों तथा किशोरों में बाहरी समस्याएं	वृषाली पाठक, शोद्यार्थी, मनोविज्ञान विभाग, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली **हिंदी अनुवादक** : डा. रूपेन्द्र गुप्ता **पुनरीक्षण** : डा. मोहसिन उद्दीन, सलाहकार, मनोविज्ञान संकाय, सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ, इग्नू, नई दिल्ली
खण्ड 4	**बाल अधिकार एवं हस्तक्षेप**	
इकाई 7	बच्चों और किशोरों के लिए उपचार एवं रेफरल	दृष्टि कश्यप, शोधार्थी, मनोविज्ञान विभाग, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली **हिंदी अनुवादक** : डा. सुनीता देवी, गुरूकुल कागड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार **पुनरीक्षण** : डा. मोहसिन उद्दीन, सलाहकार, मनोविज्ञान संकाय, सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ, इग्नू, नई दिल्ली
इकाई 8	बच्चों और किशोरों में चिकित्सीय हस्तक्षेप	दृष्टि कश्यप, शोधार्थी, मनोविज्ञान विभाग, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली **हिंदी अनुवादक** : डा. रूपेन्द्र गुप्ता **पुनरीक्षण** : डा. मोहसिन उद्दीन, सलाहकार, मनोविज्ञान संकाय, सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ, इग्नू, नई दिल्ली
इकाई 9	बाल अधिकार एवं सुरक्षा	डा. ध्वनि पटेल, भूतपूर्व सहायक प्राध्यापक, महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय, वडोदरा **हिंदी अनुवादक** : डा. सुनीता देवी, गुरूकुल कॉगड़ी (समविश्वविद्यालय), हरिद्वार **पुनरीक्षण** : डा. मोहसिन उद्दीन, सलाहकार, मनोविज्ञान संकाय, सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ, इग्नू, नई दिल्ली

मुद्रण प्रस्तुति

श्री राजीव गिरधर
सहायक कुलसचिव (प्रकाशन)
एमपीडीडी, इग्नू, नई दिल्ली

श्री हेमन्त परीदा
अनुभाग अधिकारी (प्रकाशन)
एमपीडीडी, इग्नू, नई दिल्ली

जून, 2021

© *इंन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालयए 2021*

ISBN:

सर्वाधिकार सुरक्षित। इस सामग्री के किसी भी अंश को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति के बिना किसी भी रूप में, मिमियोग्राफी (चक्रमुद्रण) द्वारा या अन्यथा पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के अन्य पाठ्यक्रमों संबंधी और जानकारी विश्वविद्यालय के कार्यालय, मैदान गढ़ी, नई दिल्ली–110068 से सम्पर्क करें अथवा हमारी वेबसाइट *http://www.ignou.ac.in* पर जाएं।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की ओर से कुलसचिव (एमपीडीडी), इग्नू, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित
लेज़र टाइप सेट : टेस्सा मीडिया एंड कंप्यूटर्स
मुद्रण :

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

विषय वस्तु

		पृष्ठ सं.
खण्ड 1	**विद्यालय मनोविज्ञान का परिचय**	**13**
इकाई 1	विद्यालय मनोविज्ञान : एक विहंगावलोकन	15
खण्ड 2	**बच्चों तथा किशोरों में विकासात्मक कारक**	**33**
इकाई 2	मानव विकास का परिचय	35
इकाई 3	विकासात्मक सिद्धांत	53
खण्ड 3	**बच्चों तथा किशोरों में समस्या व्यवहार**	**75**
इकाई 4	विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे	77
इकाई 5	बच्चों तथा किशोरों में आतंरिक समस्याएं	99
इकाई 6	बच्चों तथा किशोरों में बाहरी समस्याएं	133
खण्ड 4	**बाल अधिकार एवं हस्तक्षेप**	**165**
इकाई 7	बच्चों और किशोरों के लिए उपचार एवं रेफरल	167
इकाई 8	बच्चों और किशोरों के लिए चिकित्सीय हस्तक्षेप	195
इकाई 9	बाल अधिकार एवं सुरक्षा	225

ignou THE PEOPLE'S UNIVERSITY

विद्यालय मनोविज्ञान : पाठक्रम को कैसे पढ़ें

''विद्यालय मनोविज्ञान'' (BPCS-184) पाठ्यक्रम, इग्नू के स्नातक डिग्री कार्यक्रम, बी.ए. कार्यक्रम में पढ़ाया जाने वाला कौशल संवधर्न पाठ्यक्रम है। यह पाठ्यक्रम 04 क्रेडिट का है जिसमें चार खंड है। सभी इकाइयों तार्किक आधार पर क्रमबद्ध की गई है। जिससे प्रत्येक विषय को समझने में आसानी हो। प्रत्येक इकाई के आरंभ में विषय की प्रस्तावना है जिसमें कार्य–विषय के विषय में बताया गया है। विषय का विस्तारपूर्वक वर्णन करने के बाद अंत में संदर्भ–स्रोतों की सूची दी गई है, तथा अन्य संदर्भों का भी उल्लेख किया गया है। सबसे अंत में विषेष रूप से ऑनलाइन संसाधनों की सूची दी गई है, जो विद्यार्थी इंटरनेट सेवाओं का उपयोग करना चाहते हैं उनके लिए अत्यधिक सहयोगी है। विभिन्न विषयों से सम्बंधित विशेष सूचनाएं भी जोड़ी गई है। विद्यार्थियों से निवेदन है कि वे पाठ्यक्रम की प्रस्तावना को ध्यानपूर्वक पढ़े जिससे उन्हे पूरे विषय को क्रमबद्ध रूप से समझने में सुविधा हो सकेगी।

इस पाठ्यक्रम के चार खंड तथा 9 इकाइयों आपके समक्ष हैं। इकाइयों को विस्तार से पढ़ने से पहले प्रस्तावना को एक नजर डाल लें, इससे पाठ्यक्रम में सम्मिलित अध्ययन सामग्री का अध्ययन करने में सहयोग मिलेगा। नीचे इकाई–क्रम तथा विषय–सामग्री का व्याख्या की गई है। प्रत्येक इकाई के विभिन्न अनुभागों में क्या–क्या सम्मिलित है, यह आपको विदित होता रहेगा, और उसके आधार पर आप वह सब करते चलिए जो आपसे करने को कहा जा रहा है।

इकाई का क्रम एवं प्रबंधन

सीखने का उद्देश्य
1.0 प्रस्तावना
1.1 अनुभाग
1.1.1 सह–अनुभाग –1
————————————
अपनी प्रगति की जाँच कीजिए
1.2 अनुभाग (अनुभाग का विषय)
1.2.1 सह–अनुभाग –2
————————————————
अपनी प्रगति की जाँच कीजिए

प्रत्येक अनुभाग तथा सह–अनुभाग का संख्या क्रम तथा उसकी लम्बाई प्रत्येक इकाई में अलग–अलग हो सकती है। प्रत्येक इकाई में चार अंतिम अनुभाग निम्न संख्याक्रम में रखे गये हैं–

- पुनरावलोकन प्रश्न
- संदर्भ एवं पढ़ने के सुझाव
- चित्रों का संदर्भ
- ऑनलाइन स्त्रोत

अध्ययन में सुविधा तथा समझने में आसानी के लिए प्रत्येक इकाई को विभिन्न अनुभागों में बांटा गया है। प्रत्येक अनुभाग **मोटे अक्षरे** में लिखित है तथा प्रत्येक सह अनुभाग उसकी तुलना में छोटे परन्तु **मोटे अक्षरों** में लिखित है। सह–अनुभागों के

अन्य भागों का **मोटे परन्तु छोटे** अक्षरों में उल्लेख है जिससे समझने में आसानी रहे। आइये अब प्रत्येक इकाई के प्रत्येक अनुभाग पर विचार करें।

सीखने के उद्देश्य

हर इकाई के आरंभ में उद्देश्य के बारे में जानकारी दी गई है। इसका उद्देश्य आपको यह बताना है कि आप पूरी इकाई में विस्तार से क्या पढ़ने वाले हैं।

प्रस्तावना

प्रस्तावना–अनुभाग में हम बताते हैं –

क) वर्तमान इकाई का पहले वाली इकाई से संबंध

ख) वर्तमान इकाई का मूल–विषय

ग) सभी अनुभागों के प्रस्तुतिकरण का क्रम : प्रस्तावना से सारांश तक है।

सारांश

इस अनुभाग में पूरी इकाई में वर्णित विषय का सार प्रस्तुत किया जाता है जिसका उद्देष्य पाठक को विषय में संक्षेप में अवगत करवाना होता है।

बॉक्स

कुछ विषय वैचारिक तथा सम्बंधित अवधारणाओं से जुड़े होते है और कुछ किसी विशेष विषय के अध्ययन से सम्बंधित होते हैं। ऐसे विषयों को अलग से रेखांकित करते हुये समझना जरूरी होता है, इसी लिए इन्हें बॉक्स के अंदर रखा जाता है ताकि वे पाठक का ध्यान आकर्षित कर सकें। बॉक्स में दी गई सामग्री विषयांतर होते हुये भी विषय को समझने में सहयोगी होती है, (i) इनमे कुछ विषय को समझने में सहयोगी टिप्पणियां हो सकती है, (ii) वैज्ञानिक या विचारक के मुख्य कार्य के संदर्भ में जानकारी हो सकती है, जिसकी विषय के साथ–साथ जानकारी महत्व रखती हो, या फिर (iii) किसी विशेष पर विशेष अध्ययन की रिपोर्ट हो सकती है, जो मुख्य अध्ययन सामग्री में निहित विचार से सम्बंधित है।

चित्र

हर इकाई में अध्ययन के विषय को स्पष्ट करने के यथा सम्भव चित्र, आकृतियां, आंकड़े या फोटो दिये जाते हैं।

अपनी प्रगति की जाँच कीजिए

अपनी प्रगति की जाँच कीजिए शीर्षक के अंतर्गत अध्ययन सामग्री के अंत में कुछ प्रष्न दिये जाते हैं। प्रत्येक प्रष्न के नीचे उत्तर के लिए खाली जगह छोड़ी गयी है।

अ) इसी जगह पर इनके उत्तर लिखे जाने चाहिए।

ब) खाली जगह में आवश्यकता हो तो आरेख बनाया जा सकता है।

इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए केवल अध्ययन सामग्री को आधार बनायें। प्रत्येक इकाई को ध्यान से पढ़ें, और अपने नोट्स तैयार करें। इनसे आपको पूछे गये प्रश्नों के उत्तर देने में आसानी होती तथा प्राप्त जानकारी की सहायता से आपको सत्र के अंत में होने वाली परीक्षाओं में पूछे गये प्रश्नों के उत्तर लिखने में आसानी होगी।

मुख्य शब्द

प्रत्येक इकाई के अंत में चुनिंदा शब्दों तथा तकनीकी शब्दों के विस्तृत अर्थ दिये गए हैं।

संदर्भ एवं पढ़ने के सुझाव

प्रत्येक इकाई के अंत में उन लेखों तथा पुस्तकों आदि की सूची दी गई है जिनका उपयोग लेखक ने इकाई की संरचना तैयार करने में किया है। इससे यह पता चलता है कि अध्ययन सामग्री विश्वस्त सूत्रों से सम्बंधित हैं। इसकी सहायता से आप विषय के विस्तृत अध्ययन के लिए अन्य स्रोतों का अध्ययन कर सकते हैं। प्रत्येक संदर्भ स्रोत में रचना का नाम, इसके लेखक का नाम, प्रकाशन का नाम तथा प्रकाशन वर्ष की सटीक जानकारी दी गई है।

पढ़ने के सुझाव की सूची शिक्षार्थी को विषय सम्बंधी जानकारी को ओर बढ़ाने की दृष्टि से दी गई है।

चित्र–संदर्भ

विषय का वर्णन करते समय चित्र आकृतियों, चित्रों अथवा आरेखों का सहारा लिया गया है, उनके संदर्भ–स्रोतों की जानकारी प्रत्येक इकाई में स्पष्ट दी गयी है। जो आकृतियां या चित्र ऑनलाइन स्रोतों से लिए गये हैं। उनकी यूनीफॉर्म रिसॉर्स लोकेटर (URL) आपकी सहायता हेतु दिया जाता है।

ऑनलाइन संसाधन

विभिन्न विषयों से सम्बंधित ऑनलाइन स्रोत प्रत्येक इकाई के अंत में दिये गये हैं। यदि अध्ययन सामग्री के अलावा आप अन्य सम्बंधित सामग्री के अध्ययन करना चाहते है तो, दी गई वेबसाइट पर जाकर आप उसका अध्ययन कर सकते हैं।

पुनरावलोकन प्रश्न

अपनी प्रगति की जाँच के साथ–साथ प्रत्येक इकाई में सारांश के बाद पुनरावलोकन प्रश्न दिये जाते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर तैयार कर आप अध्ययन सामग्री के विषय में अपनी जानकारी का निरीक्षण कर सकते हैं और सत्रांत में होने वाली परीक्षाओं के लिए प्रश्नपत्र या प्रश्नोत्तरी तैयार कर सकते हैं।

श्रव्य एवं दृश्य सामग्री

कुछ इकाईयों में श्रव्य एवं दृष्य सामग्री, प्रकाशित सामग्री के अतिरिक्त दी जाती है। यह सामग्री विषय के अध्ययन में अतिरिक्त रूप से सहयोगी होती है।

इसके अलावा आप इग्नू का एफएम रेडियो चैनल 'ज्ञानवाणी' (105.6 एफएम) सुन सकते हैं, जो नियमित रूप से पूरे देश में प्रसारित किया जाता है। मनोविज्ञान संकाय के विशेषज्ञ किसी विशेष विषय पर जब तब व्याख्यान देते हैं। उनसे फोन या इमेल के जरिये सम्पर्क करके इस का लाभ उठा सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, ज्ञान–दर्शन टी.वी. चैनल पर जो मनोविज्ञान पर कार्यक्रम आते रहते है उनका लाभ उठा सकते है। 'ज्ञानवाणी' और 'ज्ञान–दर्शन' की जानकारी, www.ignou.ac.in पर उपलब्ध की जा सकती है। रेडियो तथा टेलीविजन चैनल पर ज्ञानधारा वेबकास्ट से जुड़ सकते है। यह सुविधा इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा ज्ञानवाणी तथा ज्ञान दर्षन कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए दी गई है।

सत्रीय कार्य (Tutor Marked Assignment)

पूरी अध्ययन सामग्री के आधार पर सत्रीय कार्य दिये जाते हैं इनमे दिये गये प्रश्नों के उत्तर तैयार करके अध्ययन केंद्र पर जमा करने होते है। इन सत्रीय कार्य में जो ग्रेड या अंक दिये जाते है वे अंतिम लिखित परीक्षा के अंकों में जोड़ दिये जाते हैं। सत्रीय

कार्य में दिये गये प्रश्नों के उत्तर देने से पहले सभी इकाईयों तथा अतिरिक्त सामग्री को ध्यान से पढ़िये। सत्रीय कार्य में निहित प्रश्नों के उत्तर देते समय इन निर्देशों को ध्यान में रखें।

1) अपना अनुक्रमांक साफ–साफ लिखिए।
2) अपने शब्दों में तथा अपना हाथ से उत्तर लिखें।
3) साफ–साफ लिखें ताकि आपके द्वारा लिखित उत्तर पूरी तरह समझ में आ सके।
4) अपनी उत्तर पुस्तिका के एक ओर पर्याप्त जगह, छोड़े, जहां पर परीक्षक आप के उत्तर के बारे में अपनी प्रतिक्रिया लिखित रूप में व्यक्त कर सके।
5) सत्रीय कार्य को अपने अध्ययन केंद्र पर जमा करने की अंतिम तिथि से पहले जमा कर दें। तिथि आप अपने क्षेत्रीय केन्द्र की वेबसाइट अथवा www.ignou.ac.in पर पता कर सकते हैं।

सत्रांत परीक्षा

अध्ययन सामग्री को पढ़ने व समझने के बाद, श्रव्य व दृश्य कार्यक्रम से जानकारी लेने के बाद आपको सत्रांत परीक्षा देनी होगी। सत्रांत परीक्षा के लिए उत्तर तैयार करते समय इन निर्देषों का ध्यान रखें।

1) प्रश्नों के उत्तर सटीक हो तथा अपने शब्दों में अपने हाथों से लिखे गये हो।
2) उत्तर देते समय शब्द–सीमा का ध्यान रखें।

पाठ्यक्रम की तैयारी

अध्ययन सामग्री का पाठ्यक्रम (बीपीसीएस 184) विषेषज्ञों की समिति द्वारा बनाया गया है तथा पाठ्यक्रम तैयार करने वाले दल द्वारा तैयार किया गया है जिसमें इकाई के लेखक, सम्पादक, भाषा सम्पादक तथा पाठ्यक्रम सहयोगी सम्मिलित होते हैं। विषेषज्ञों की समिति प्रत्येक इकाई के खंडों के विषयों तथा सहयोगी विषयों का चयन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चयन आधारों का पालन करते हुए किया गया है। इकाईयों के लेखकों को प्रत्येक इकाई की मुख्य अध्ययन सामग्री तैयार करने के लिए अपनी दक्षता का प्रमाण दिया है। सामग्री–सम्पादक पाठ्यक्रम में सम्मिलित की जाने वाली अध्ययन सामग्री का सूक्षमता से अध्ययन करते हैं। उनका पूरा प्रयास रहा है कि पाठ्यक्रम में शामिल की गई अध्ययन सामग्री स्पष्ट तथा सरलता से समझी जा सके।

विषय से सम्बंधित अन्य किसी जानकारी के लिए पाठ्यक्रम सहयोगी से सम्पर्क करें:–

डा. मोनिका मिश्रा,
कमरा न. 31, ब्लॉक–एफ
सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ,
इग्नू, नई दिल्ली।
E :bapchsoss@ignou.ac.in/monikamisra@ignou.ac.in.
P : 01129572781

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

पाठ्यक्रम परिचय : विद्यालय मनोविज्ञान

विद्यालय मनोविज्ञान, बी. ए. कार्यक्रम में प्रस्तुत योग्यता संवधर्न पाठ्यक्रम है। यह आपको मनोविज्ञान के एक विशेष क्षेत्र से परिचित कराएगा जोकि बच्चों, किशोरों, विद्यालय शिक्षा प्रक्रिया एवं परिवारों पर केंद्रित है। यह मनोविज्ञान की एक शाखा है जो नैदानिक मनोविज्ञान, परामर्श मनोविज्ञान, शैक्षिक मनोविज्ञान एवं समावेशी शिक्षा और नीति निर्माण जैसे क्षेत्रों में निहित है। यह बच्चे या बच्चों की देखभाल करने वाले या शिक्षक के नजरिए से कई चिंताओं को संबोधित करता है जैसे सामाजिक या अंतवैयक्तिक समस्याएं, दिव्यांगता या विकार बढ़ती आयु के दौरान मादक पदार्थ के सेवन और अपराध जैसी चुनौतीपूर्ण चिंताएं जो सीखने या व्यवहार को प्रभावित करती है।

विद्यालय मनोवैज्ञानिक की भूमिका बच्चे का कल्याण और इष्टतम शिक्षण अधिगम अनुभव को बढ़ावा देने की है। विद्यालय मनोवैज्ञानिक के मुख्य कार्य बच्चों और किशोरों की सांस्कृतिक विविधता के बीच आकलन, निदान, हस्तक्षेप, सामाजिक और संवेगात्मक कार्यपद्धति को बढ़ावा देना है। हालांकि, विद्यालय मनोवैज्ञानिक द्वारा आवश्यक कौशल न केवल आकलन, रोकथाम एवं हस्तक्षेप से संबंधित है बल्कि शिक्षकों, माता–पिता, प्रशासन और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श भी सम्मिलित है। अब हम पाठ्यक्रम के खण्डों एवं इकाइयों का संक्षिप्त अवलोकन करते है।

खण्ड परिचय

इस पाठ्यक्रम में चार खण्ड है। खण्ड 1 आपको विद्यालय मनोविज्ञान के क्षेत्र से परिचित करवाता है। एक अलग अध्ययन के विषय इसकी प्रासंगिकता एवं विद्यालय मनोवैज्ञानिक के कार्यों के रूप विद्यालय मनोविज्ञान का उदगमन हुआ है।

खण्ड 2 बच्चों और किशोरों में विकासात्मक कारकों को तथा प्रमुख विकासात्मक सिद्धांतों की व्याख्या करता है। खण्ड 3 बच्चों और किशोरों की व्यवहार संबंधित समस्याओं पर केंद्रित है। बच्चों और किशोरों के साथ–साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में आंतरिक और बाह्य समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई है। खण्ड 4 में बच्चों और किशोरों के साथ–साथ बाल अधिकारों के लिए चिकित्सीय हस्तक्षेपों पर प्रकाश डाला गया है।

खण्ड 1 आपको विद्यालय मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र से परिचित कराता है। यह खण्ड आपको अन्य खण्डों में चर्चा किये जाने वाले बिन्दुओं के संबंध में परिचित कराएगा। इस खण्ड में एक इकाई है। विषय के रूप में विद्यालय मनोविज्ञान के उद्‌गम के बारे में बताता है। विद्यालय मनोविज्ञान का अन्य विषयों जैसे नैदानिक मनोविज्ञान और शैक्षिक मनोविज्ञान के साथ संबंध बताया गया है। यह इकाई विद्यालय मनोविज्ञान की वर्तमान तथा भविष्य पर प्रकाश डालती है। इकाई के अंत में विद्यालय मनोवैज्ञानिक की भूमिका और कार्यों पर भी चर्चा करती है।

खण्ड 2 बच्चों और किशोरों में विकासात्मक कारकों का वर्णन करता है। इस खण्ड में दो इकाईयाँ शामिल है। इकाई 2 मानव विकास के सिद्धांतों का परिचय देता है। इस इकाई में विकासात्मक मनोविज्ञान से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई है। अंततः यह मानव विकास में दोनों अनुवांशिकता और पर्यावरणीय कारकों के महत्व को समझाता है। इकाई में प्रमुख विकासात्मक सिद्धांतों की व्याख्या की गई है। इकाई 3

में संज्ञानात्मक डोमेन से संबंधित सिद्धांत जैसे *पियाजे, वाइगोत्सकी, ब्रूनर* एवं *स्किनर* तथा भाषा के विकास पर *चोमस्की* पर चर्चा की गई है। *ऐरिक्सन* का मनोसामाजिक सिद्धांत और नैतिक विकास पर *कोहल्बर्ग* का दृष्टिकोण को भी समझाया गया है। यह इकाई *ब्रानफेनब्रेनर* के पारिस्थितिक तंत्र सिद्धांत और *दुर्गानंद सिन्हा* के आभाव (डेप्रवेशन) का प्रतिमान पर भी प्रकाश डालती है। प्रतिमानों के महत्वपूर्ण मूल्यांकन पर भी चर्चा की गई है।

खण्ड 3 आपको बच्चों और किशोरों में समस्या व्यवहार से परिचित कराता है। इस खंड में तीन इकाईयाँ (इकाई 4, 5 और 6) सम्मिलित है। इकाई 4 में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों पर चर्चा की गई है। प्रारंभिक हस्तक्षेप और विशिष्ट अधिगम विकार और बौद्धिक दिव्यांगता के आकलन पर चर्चा की गई है। प्रतिभाशाली बच्चों से संबंधित विभिन्न योजनाओं के साथ–साथ विशेष शिक्षा में विद्यालय मनोवैज्ञानिक की भूमिका पर भी चर्चा की गई है। इकाई 5 बच्चों और किशोरों की आंतरिक समस्याओं जैसे अवसाद, चिंता, सामाजिक प्रत्याहर, शरीर की छवि और भोजन विकार तथा दैहिक समस्याओं का वर्णन करता है। इकाई 6 बच्चो और किशोरों की बाहरी समस्याओं का विहंगावलोकन प्रस्तुत करती है। इस तरह की समस्याओं में विरुद्धक अवज्ञाकारी विकार, आचरण विकार, अवधान न्यूनता अतिक्रिया विकार और मादक पदार्थ उपयोग विकार सम्मिलित है। इकाई में अन्य समस्याओं जैसे दहनोन्माद, चौर्योन्माद और कामचोरी आदि पर चर्चा की गई है।

खण्ड 4 में तीन इकाईयाँ (इकाई 7, 8 और 9) शामिल है। इकाई 7 बच्चों और किशोरों में समस्या व्यवहार के लिए रेफरल एवं परामर्श के महत्व का वर्णन है। इस इकाई में उदाहरण सहित कला और क्रीड़ा चिकित्सा का उपयोग करने की तकनीक पर प्रकाश डाला गया है। इकाई 8 बच्चों में चिकित्सीय हस्तक्षेप का वर्णन करती है। संज्ञानात्मक चिकित्सा, संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा, तर्क संगत संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा और सामाजिक कौशल प्रशिक्षण आदि मुख्य उपचारों को उदाहरणों की सहायता से समझाया गया है। इकाई में स्थिति स्थापन निर्माण के लिए मनोशैक्षिक कार्यक्रमों और सार्मथ्य आधारित परामर्श पर इकाई में प्रकाश डाला गया है। अंतिम इकाई (इकाई 9) आपको भारत में बाल अधिकारों की स्थिति से परिचित कराती है। जीवन का अधिकार, सतत् विकास लक्ष्यों तथा संरक्षण और भागीदारी का अधिकार को प्रस्तुत किया गया है। यह इकाई आपको भारत में चाइल्ड हेल्प लाइन के उद्भव और महत्व से भी परिचित कराती है।

खण्ड 1
विद्यालय मनोविज्ञान का परिचय

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

इकाई 1 विद्यालय मनोविज्ञान : एक विहंगावलोकन*

संरचना

1.0 प्रस्तावना

1.1 विद्यालय मनोविज्ञान की परिभाषा

1.2 विद्यालय मनोविज्ञान : आवश्यकता तथा प्रासंगिकता

1.3 ऐतिहासिक विहंगावलोकन एवं वर्तमान प्रवृत्तियां

1.4 भारत में विद्यालय मनोवैज्ञानिक का भविष्य

1.5 विद्यालय मनोवैज्ञानिक की भूमिका तथा उनके कार्य

1.6 सारांश

1.7 मुख्य शब्द

1.8 पुनरावलोकन प्रश्न

1.9 संदर्भ एंव पढ़ने के सुझाव

1.10 ऑनलाइन संसाधन

सीखने के उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप :–

- विद्यालय मनोविज्ञान तथा मनोविज्ञान के अन्य संबंधित क्षेत्रों में अंतर कर सकेंगे;
- भारत में विद्यालय मनोविज्ञान की व्यवसायीकरण में अनिवार्यता की व्याख्या कर सकेंगे;
- विद्यालय मनोविज्ञान का विकास अध्ययन के एक स्पष्ट विषय के रूप में ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि पर प्रकाश डाल सकेंगे;
- भारत में विद्यालय मनोविज्ञान के वर्तमान स्तर की व्याख्या कीजिये ; तथा अध्ययन के क्षेत्र में इसका भावी रुझान किस तरह का है समझ सकेंगे; तथा
- एक विद्यालय मनोवैज्ञानिक के रूप में व्यक्ति की भूमिकाओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

1.0 प्रस्तावना

भारत में विद्यालय मनोविज्ञान, परामर्शीय–मनोविज्ञान, चिकित्सीय मनोविज्ञान, शैक्षिक मनोविज्ञान, तथा बाल मनोविज्ञान के बीच स्पष्ट सीमा रेखाओं का अभाव है। हर क्षेत्र की अपनी–अपनी विशेषताएं हैं जिनके आधार पर मनोविज्ञान की विभिन्न शाखाओं में अंतर किया जा सकता है। बहुत पहले भारत में विद्यालय मनोविज्ञान के व्यावसायीकरण पर विचार किया गया था। इसके परिणाम स्वरूप निजी विद्यालयों में विद्यालय– परामर्शदाताओ की नियुक्तियां देखने को मिली, फिर प्राथमिक कक्षाओं, जूनियर हाई स्कूलों की कक्षाओं तथा माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में भारत में

* डा. ध्वनि पटेल, भूतपूर्व सहायक प्राध्यापक, महाराज सयाजीराव विश्वविद्यालय, वडोदरा

परामर्शदाताओं की नियुक्तियां हुई। अब सी बी एस ई से मान्यता प्राप्त विद्यालय में विद्यालय परामर्शदाताओं की नियुक्तियां अनिवार्य हो गई हैं।

स्वास्थ्य–कल्याण शिक्षक की नियुक्ति–नियम–53.5

i) प्रत्येक माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्वास्थ्य कल्याण अध्यापक की पूर्ण–कालिक नियुक्त करेगा, जिसकी योग्यता का विवरण इस प्रकार है–मनोविज्ञान विषय में स्नातक/स्नातकोत्तर, अथवा बाल विकास में स्नातकोत्तर अथवा, जीविका–मार्गदर्शन तथा परामर्श में डिप्लोमा सहित स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री।

ii) कक्षा XI से XII तक 300 से कम छात्र–संख्या वाले विद्यालय अंशकालिक परामर्शदाता की नियुक्ति कर सकते हैं।

iii) सभी मान्यता प्राप्त विद्यालय/सम्बद्ध विद्यालयों को उपवाक्य 1 व 2 के अंतर्गत नियम लागू होने के 2 वर्ष के अंतर्गत स्वास्थ्य कल्याण शिक्षक की नियुक्ति होगी।

(सी बी एस ई/ए एफ एफ/सर्कुलर/2014/67 एंव 5195)

विद्यालय परामर्शदाताओ को निर्देश दिए जाते हैं कि वह उन बच्चों की विशेष रूप से सहायता करें जो पढ़ाई में अत्यधिक पिछड़े हैं तथा जो विशेष आवश्यकता की श्रेणी में आते हैं। मानसिक रूप से अस्वस्थ छात्रों की शिक्षा के लिए विद्यालय परामर्शदाता विशेष रूप से व्यक्तिगत तथा समूहगत शिक्षण व मार्गदर्शन देते हैं। अब ''विद्यालय मनोवैज्ञानिक'' शब्द का प्रयोग 'परामर्श' तथा 'विद्यालय परामर्शदाता' के लिए किया जाता है। इन सभी पदावलियों का एक ही अर्थ है। अंतर यह है कि विद्यालय मनोवैज्ञानिक की भूमिकाओं की सारणी तैयार की जाती है परंतु यदि यह भूमिकाएं निभाई जाती हैं या नहीं यह विद्यालय मनोवैज्ञानिक के व्यवसाय प्रशिक्षण पर निर्भर करता है। विद्यालय मनोवैज्ञानिक का व्यवसायीकरण भारत में अब भी गिने–चुने उन संस्थाओं तक ही सीमित है जिसमें व्यवसायिक पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है।

इस इकाई में विद्यालय मनोविज्ञान के क्षेत्र का वर्णन किया जाएगा तथा भारत में विद्यालय–मनोविज्ञान के अतीत, वर्तमान तथा भविष्य का विहंगालोकन किया जाएगा। विषद क्षेत्र और संबंधित समस्याओं तथा शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय मनोवैज्ञानिकों की विशिष्ट भूमिकाओं पर, इकाई के बाद के भाग में चर्चा की जाएगी।

1.1 विद्यालय मनोविज्ञान की परिभाषा

विद्यालय–मनोविज्ञान, शैक्षिक मनोविज्ञान की तरह ही है। दोनों बच्चे के वातावरण पर जोर देते हैं तथा दोनों ही बच्चे की विद्यालय शिक्षा को सफल बनाने की दिशा में काम करते हैं। विद्यालय मनोविज्ञानिक को बच्चे के विकास से संबंधित तथा बचपन के विकारों के बारे में पर्याप्त जानकारी होना जरूरी है और इस तरह वह नैदानिक मनोविज्ञानिक की तरह ही मनोवैज्ञानिक मामलों का जानकार होता है। विद्यालय मनोवैज्ञानिक छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी दायित्वों का निर्वहन करता है। विद्यालय मनोवैज्ञानिक में परामर्शदाता मनोवैज्ञानिक के गुण भी होते हैं, क्योंकि वह छात्र–केंद्रित तथा व्यक्तिगत स्तर पर भी मनोवैज्ञानिक सत्रों का आयोजन करता है।

विद्यालय मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप एवं सुरक्षात्मक कार्यक्रमों का आयोजन करता है, शिक्षकों तथा अभिभावकों से सलाह मशविरा करता है तथा विभिन्न प्रकार के मानसिक स्वास्थ्य संबंधित दायित्व को पूरा करने के लिए नए–नए मनोवैज्ञानिक उपायों की खोज भी करता है।

विद्यालय मनोविज्ञान व्यावसायिक मनोविज्ञान की तरह ही स्वास्थ्य सुरक्षा का दायित्व निभाता है। विद्यालय मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो बच्चों, युवाओं, परिवारों सभी आयु वर्ग के ज्ञानार्जन कार्यकर्ताओं तथा शैक्षिक प्रक्रियाओं से जुड़े मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर काम करता है। विद्यालय–मनोवैज्ञानिक की शिक्षा तथा उसका प्रशिक्षण उसे सभी प्रकार के मनोवैज्ञानिक दायित्वों के निर्वहन में सक्षम बनाता है जैसे हस्तक्षेपीय, सुरक्षात्मक स्वास्थ्य संवर्धन, विकास योजना, बच्चों तथा युवाओं की विद्यालय परिवार तथा अन्य प्रणालियों से जुड़ी विकासात्मक प्रक्रियाएं।

अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय मनोविज्ञान संघ विद्यालय मनोविज्ञान की परिभाषा इस प्रकार करता है, *"विद्यालय मनोविज्ञान शब्दावली का प्रयोग ऐसे मनोवैज्ञानियों के लिए किया जाता है जिन्होंने मनोविज्ञान तथा शिक्षा के क्षेत्र में व्यवसायिक स्तर पर काम करने के लिए अपने आपको तैयार किया हो तथा जिन्हें मनोवैज्ञानिक सेवाओं के विशेषज्ञों के रूप में पहचान प्राप्त हो चुकी हो, जो बच्चों तथा युवाओं को विद्यालयों में परिवारों में तथा अन्य संबंधित संस्थानों में अपनी सेवाओं द्वारा उनके विकास का दायित्व निभा रहे हो। यह शब्दावली शैक्षिक मनोवैज्ञानिकों तथा अन्य उन व्यक्तियों के लिए भी इस्तेमाल की जाती है जो विद्यालय–मनोविज्ञान से किसी ना किसी रूप में अपनी संबंधित योग्यताओं के कारण जुड़े हों।"*

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि विद्यालय मनोविज्ञान ज्ञान व्यवहार तथा मानसिक स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को अपने आपमें शामिल करता है तथा बच्चों व किशोरों को अकादमिक रूप से सामाजिक रुप से व्यवहारिक व संवेगात्मक रूप से मनुष्यों की तरह विकास करने में सहयोग देता है।

1.2 विद्यालय मनोविज्ञानः आवश्यकता तथा प्रासंगिकता

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 0–14 वर्ष की आयु वर्ग की जनसंख्या 37.24 करोड़ (कुल जनसंख्या 121.1 करोड़) है जो कुल जनसंख्या का 30.76% (भारत में बच्चे, 2018, एक सांख्यिकीय मूल्यांकन) है। देश में सरकार ने बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक महत्वपूर्ण योजना लागू की है जैसे सर्व शिक्षा अभियान (2000) तथा शिक्षा का अधिकार (2010)। इनका उद्देश्य कक्षाओं में बच्चों की अधिक से अधिक उपस्थिति सुनिश्चित करना तथा बीच में ही पढ़ाई छोड़ने वालों की संख्या में कमी लाना है। विद्यालय बड़ी संख्या में बच्चों में दाखिल करवाने के लिए विभिन्न समुदायों को आकर्षित करने में सक्षम है। मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू करके विद्यालयों से बच्चों को जोड़ने में सफलता मिल रही है।

पिछले कुछ दशकों से मनोविज्ञान के पाठ्यक्रमों को अपनाए जाने की प्रवृत्ति बहुत बड़ी है। अनेक विद्यालय उच्चतर माध्यमिक स्तर पर भी मनोविज्ञान को एक विषय के रूप में शामिल कर चुके हैं। महाविद्यालयों में विषयों को चुनने की परम्परा पहले से ही मौजूद है और दशकों से उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। बड़ी संख्या में छात्र मनोविज्ञान को प्रमुख विषय के रूप में चुनने लगे हैं। उनका रुझान नैदानिक

मनोविज्ञान में विशेष योग्यता प्राप्त करना है। मनोविज्ञान की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिऐ सेवाओं के अनके विकल्प खुले हैं, जिनमें विद्यालय परामर्श की सेवाओं को वैकल्पिक रूप से अधिक पसंद किया जा रहा है। जो छात्र नैदानिक अथवा परामर्श मनोविज्ञान में शिक्षण एवं प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, वे विभिन्न विद्यालयों में विद्यालय परामर्शदाता अथवा विद्यालय मनोवैज्ञानिकों के पद के लिए आवेदन करते हैं। इस स्थिति को देखते हुए उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों में विद्यालय मनोविज्ञान में विशेष योग्यता प्रदान करने वाले पाठ्यक्रमों को शामिल करना जरूरी लगता है जिससे मनोविज्ञान में रुचि रखने वाले छात्र, विद्यालय परामर्शदाता के रूप में अपने आपको तैयार कर सकें।

बॉक्स 1.1 : भारत में आत्महत्या संबंधी तथ्य एवं आंकड़े

- भारत में 15–29 वर्ष आयु वर्ग में आत्महत्या का प्रतिशत सबसे ज्यादा है (लेनसेट मेडिकल जर्नल)।
- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एन. सी. आर. बी.) के अनुसार 2018 में भारत में 10159 छात्रों ने आत्महत्या की। बल्कि 2017 में आत्महत्या करने वाले छात्रों की संख्या 9905 थी।
- राज्य स्तरीय विवरणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि आत्महत्या के मामले में महाराष्ट्र सबसे आगे है। महाराष्ट्र में 2018 में 1448 छात्रों, तमिलनाडु में 953 छात्रों तथा मध्यप्रदेश में 862 छात्रों ने आत्महत्या की थी।
- भारत में आत्महत्या के लिए उकसाने वाले तथ्यों में माता–पिता का दबाव और परीक्षा संबंधित तनाव तथा साथियों का दबाव सामान्यतः शामिल है।

बॉक्स 1.1 में दिए गए आत्महत्या के आंकड़े भारतीय युवकों की विश्लेषण तस्वीर प्रस्तुत करते हैं । समाजशास्त्र तथा मनोविज्ञान के विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में हाल के वर्षों में आत्महत्याओं के मामले में वृद्धि के अनेक कारण सामने आए हैं। बढ़ता हुआ शिक्षा का तनाव, संबंधों की असफलता, सहयोग की भावना में आई कमी, सामाजिक सहयोग की कमी, आदि ऐसे प्रमुख कारण हैं जो छात्रों की आत्महत्या की प्रवृत्ति में वृद्धि करते हैं। अधिकतर तनाव ग्रस्त छात्र इसी कारण मौत के मुंह में चले जाते हैं क्योंकि उन्हें चिंता तथा तनाव से मुक्ति दिलाने के लिए समय पर उपयुक्त परामर्श नहीं मिल पाता। हर वर्ष आत्महत्या की दर में होती वृद्धि को देखते हुए, यह जरूरी है कि छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर निरंतर निगरानी रखी जाए।

विद्यालयों द्वारा मनोवैज्ञानिकों की नियुक्तियों के मामले में अनेक प्रकार की विसंगतियां हैं। अनेक विद्यालय मनोविज्ञान में डिप्लोमा प्राप्त व्यक्तियों को या उन व्यक्तियों को मनोविज्ञान परामर्शदाता के रूप में नौकरी पर रख लेते हैं जिन्हें मनोविज्ञान की पर्याप्त तथा सही जानकारी नहीं होती है। अतः ऐसी व्यवस्था किया जाना चाहिए कि मनोविज्ञान में दक्ष व्यक्तियों को ही परामर्शदाता का दायित्व सौंपा जाए। सभी शिक्षण संस्थान उपयुक्त, न्यूनतम योग्यता व सक्षम मनोविज्ञानविदों को ही विद्यालय परामर्शदाता के रूप में नियुक्ती प्रदान करें (एक विशेष क्षेत्र होने के कारण)।

बॉक्स 1.2: केंद्रीय माध्यिमिक शिक्षा बोर्ड (सी बी एस ई) परीक्षा से चिंतित छात्रों को मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता उपलब्ध कराती है।

प्रति वर्ष सी बी एस ई मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाताओं की समिति का गठन करती है। देश तथा विदेश के परामर्शदाता तथा स्पेशल एजुकेटर द्वारा ऑनलाइन (counselling.obcecbse@gmail.com) सलाह–सेवाएं बोर्ड की कक्षाओं से जुड़े छात्रों तथा उनके अभिभावकों को उपलब्ध कराई जाती है। ये सेवाएं प्रमुख रूप से बोर्ड–परीक्षा से पहले या परीक्षाओं के दौरान, प्रायः फरवरी माह के आरंभ से अप्रैल माह के अंत तक ये सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। छात्रों व उनके माता–पिता/ अभिभावकों को ये सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु टोल फ्री नंबर (1800–11–8004) दिया जाता है। लॉक डाउन की अवधि में भी 2020 में ये सेवाएं छात्रों और अभिवाकों को उपलब्ध कराई गई, जब परीक्षाएं स्थगित की गई या फिर से चालू की गई थी। अब इन सेवाओं में दो नहीं विशेषताएं जोड़ी गई हैं :– इंटरेएक्टिव वॉयस रिस्पांस प्रणाली तथा लाइव काउंसलिंग।

भारतीय शिक्षाप्रणाली में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के तहत अनेक प्रकार के सुधार किए जा रहे हैं। पाठ्यक्रमों में आमूल चूल परिवर्तनों की घोषणा की गई है और राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली (NEP, 2020), शिक्षा के समग्र विकास में उत्प्रेरणा का काम करेगी। नई शिक्षा नीति में शिक्षकों को प्रशिक्षण पर विशेष रूप से बल दिया गया है। इससे छात्रों पर रचनात्मक प्रभाव पड़ेगा तथा विद्यालय–मनोवैज्ञानिकों के दबाव में कमी आएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह स्वास्थ्य–परीक्षण पर जोर देती है जिसमें बच्चे का केवल शारीरिक स्वास्थ्य का परीक्षण ही नहीं आता, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य का परीक्षण भी शामिल है। यद्यपि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अभी विकासशील अवस्था में ही है, फिर भी छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और उनके हितों से जुड़ा बड़ा काम जो इस नीति के अंतर्गत हो रहा है, वह सराहनीय है।

वर्ष 2019–20 में सामने आई कोविड–19 की समस्या ने शिक्षा के क्षेत्र पर बुरा प्रभाव डाला है। सभी विद्यालय तथा महाविद्यालयों की गतिविधियों को ऑनलाइन चलाने पर विवश कर दिया है। घर पर रहते हुए ही बच्चों को पूरे वर्ष शिक्षा देनी पड़ी है। इससे नई तरह की समस्याएं सामने आएगीं। अब जब विद्यालय फिर से खुलेंगे और बच्चे विद्यालय जाने लगेंगे तो लगातार घरों में बंद रहने के कारण उनके व्यवहार में बड़ा अंतर आ चुका होगा। जिसे सामान्य स्तर पर लाने के लिए विद्यालय मनोवैज्ञानिकों को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ऑनलाइन शिक्षा सेवाओं पर निर्भरता के कारण मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ना तय है, स्पष्ट है कि ऐसे में बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना शिक्षण संस्थानों के सामने एक नया अनुभव होगा। मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श ऑनलाइन दिया जाना, इस मामले में अधिक सुविधाजनक होगा, कि बच्चों को विद्यालय परामर्शदाता के सामने उपस्थित होने में जो झिझक हुआ करती थी उससे उन्हें मुक्ति मिलेगी। हमारा देश विकासशील देश है, इस बात का भी विद्यालय मनोविज्ञान के विकास पर प्रभाव दिखाई पड़ता है। पश्चिमी देशों में विद्यालय मनोविज्ञान एक विशिष्ट क्षेत्र के रूप में अपनी जड़े जमा चुका है। वहां विद्यालय मनोवैज्ञानियों को प्रशिक्षित करने की अच्छी व्यवस्था है। विशिष्ट शैक्षिक पाठ्यक्रम उपलब्ध है तथा उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में लागू करने के अनुज्ञापत्र प्राप्त हैं। भारत में अनुज्ञापत्र प्रदान करने की समस्या अभी तक अधर में लटकी हुई है क्योंकि

हमारे देश में नैदानिक मनोविज्ञान को छोड़कर मनोविज्ञान की अन्य शाखाओं पर ठीक से काम नहीं हो पा रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि विद्यालय मनोवैज्ञानियों के प्रशिक्षण की प्रभावी व्यवस्था की जाए। विद्यालय मनोविज्ञान के व्यवसायीकरण की चुनौती भारत के सामने मुंह बाए खड़ी है और इस प्राथमिकता के साथ सामना किया जाना चाहिए। विद्यालय मनोविज्ञान को शिक्षा के अनिवार्य अंग के रूप में लागू करने के लिए उसके व्यवसायीकरण की जरूरत है। सुव्यवस्थित विद्यालय मनोविज्ञान भारत में इसलिए महत्व रखता है क्योंकिः–

1) देश में छात्रों में आत्महत्याओं की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ती जा रही है।

2) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू होने के बाद शिक्षा में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का प्रावधान किया जाना जरूरी है क्योंकि इसकी मांग बढ़ने की संभावना है।

3) ऑनलाइन चिकित्सक के रूप में विद्यालय मनोवैज्ञानियों/ परामर्शदाताओं की भूमिका, सर्वव्यापी महामारी, जैसे कोविड–19 में अधिक बढ़ने वाली है।

4) मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में विशेष योग्यता प्राप्त लोगों में पेशेवर की अतिव्यापन से विद्यालय मनोवैज्ञानिकों की छवि को लेकर भ्रम की स्थितियां उत्पन्न होना एक अलग समस्या है।

अपनी प्रगति की जाँच कीजिए 1

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द अथवा एक वाक्य में दीजिए।

1) एक ऐसे घटक का नाम बताइए जो भारत में छात्रों की आत्महत्या में वृद्धि कर रहा है।

.....

.....

.....

.....

.....

2) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की एक प्रमुख विशेषता बताइए जो छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की दशा को रेखांकित करता है।

.....

.....

.....

.....

.....

3) विद्यालय मनोविज्ञान को एक विशेष क्षेत्र के रूप में स्थापित करने को केंद्र में रखते हुए विकासशील तथा विकसित देशों के बीच किसी एक अंतर का बताइए।

.....

.....

.....

4) वर्तमान समय में विद्यालय मनोवैज्ञानिक की नई भूमिका क्या है ?

.....

.....

.....

.....

.....

5) मनोविज्ञान का प्रमुख विषय के रूप में अध्ययन करने वाले छात्रों में सबसे ज्यादा चुना जाने वाला विशेषज्ञता क्षेत्र कौन सा है ?

.....

.....

.....

1.3 ऐतिहासिक विहंगालोकन एंव वर्तमान प्रवृत्तियाँ

विद्यालय मनोविज्ञान एक ऐसा मनोवैज्ञानिक क्षेत्र है जो शैक्षिक मनोविज्ञान, नैदानिक मनोविज्ञान, परामर्शीय मनोविज्ञान, सामुदायिक मनोविज्ञान तथा विकासात्मक मनोविज्ञान के विशेष क्षेत्रों को व्यापक रूप से प्रभावित है। विद्यालय मनोवैज्ञानिकों की पारम्परिक भूमिका प्रायः मनोमितीय प्रतिमान तक सीमित रही है। जहां मानसिक स्थिति का पता लगाना इस व्यवसाय की प्रमुख विशेषता मानी जाती थी। लगभग दो दशक पहले भारत में विद्यालय मनोवैज्ञानिकों को मनोवैज्ञानिक परीक्षण तथा मार्गदर्शन के विशेषज्ञों के रूप में स्वीकार गया। परंतु उनकी भूमिकाएं विद्यालय तक ही सीमित रही तथा विद्यालय मनोवैज्ञानिकों की स्थिति कुछ इस तरह बन गई।

1) उनकी भूमिकाओं में स्पष्टता नहीं रही।
2) उन्हें वे काम सौंपे गए जो उनकी दक्षता के दायरे में नहीं आते थे।
3) उनके बारे में भ्रम की स्थिति बनी रही कि उनकी भूमिका मनोवैज्ञानिकों या परामर्शदाताओं की हैं।
4) शिक्षकों तथा अभिभावकों ने उनसे गैर व्यवहारिक अपेक्षाएं रखी हैं।
5) विद्यालय मनोवैज्ञानिकों को नैदानिक मनोवैज्ञानिकों जैसा स्थान नहीं दिया गया है।

कुछ वर्षों से विद्यालय मनोविज्ञान एक अलग मनोवैज्ञानिक क्षेत्र के रूप में उभर कर सामने आया है। इस व्यवसाय मे अनेक नई विशेषताएं जुड़ गई हैं, जो इसे नैदानिक मनोविज्ञान तथा परामर्शदात्री मनोविज्ञान जैसे व्यापक मनोवैज्ञानिक क्षेत्रों से अलग करती है। विद्यालय मनोविज्ञान के विशिष्ट मनोवैज्ञानिक क्षेत्र के रूप में सामने आने से पहले विद्यालयों में परामर्शी तथा नैदानिक मनोविज्ञान की ही पहुंच थी। उस समय अनेक प्रकार के व्यवसायिक पाठ्यक्रम मौजूद नहीं थे जिनके माध्यम से विद्यालय मनोविज्ञान का विशेष प्रशिक्षण दिया जा सकता।

वर्तमान में भारत में भी बहुत कम विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो विद्यालय मनोविज्ञान का प्रशिक्षण देने की क्षमता रखते हैं। दो विश्वविद्यालय विद्यालय मनोविज्ञान में

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों का संचालन करते हैं, जैसे, महाराजा सायाजीराव विश्वविद्यालय, बड़ौदा तथा जी डी गोयंका विश्वविद्यालय, गुरुग्राम। पुणे विश्वविद्यालय विद्यालय मनोविज्ञान में डिप्लोमा पाठ्यक्रम की व्यवस्था है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय स्नातक पूर्व विद्यालय मनोविज्ञान का पाठ्यक्रम 2010 से चला रही है।

विकसित देशों में विश्वविद्यालय स्तर पर विद्यालय मनोविज्ञान के विशिष्ट पाठ्यक्रम की सुविधा है, साथ ही मनोविज्ञान के छात्रों को नियमों के समितियों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है तथा अभ्यास कराया जाता है। अमेरिका में *नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्कूल साइक्लोजेस्ट* (एन ए एस पी) तथा *अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन* (ए पी ए) *16 डिवीज़न,* विद्यालय मनोविज्ञान नियमिक समितियां हैं जो स्कूल–मनोवैज्ञानिकों की नैतिकता तथा कार्यों की निगरानी करती है। भारत में *भारतीय विद्यालय मनोविज्ञान संघ* का गठन प्रोफेसर बी. मुखोपाध्याय के निर्देशन में 2009 में किया गया था तथा सफलतापूर्वक पहली दसवर्षीय यात्रा (2009–2019) पूरी कर ली है। दो दशक से अधिक अवधि में यह संघ अपनी सेवाएं सफलतापूर्वक प्रदान करता चला आ रहा है। इस संघ ने भारत में विद्यालय मनोविज्ञान को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह संगठन न केवल छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को संबंधित प्रासंगिक समस्याओं पर विचार करने के लिए विशेषज्ञ उपलब्ध करवाता है बल्कि अपनी वार्षिक सभाओं के माध्यम से विद्यालय स्तर पर की जाने वाले मनोवैज्ञानिक शोधो के प्रस्तुतीकरण के लिए मंच प्रदान करता है। अंतरराष्ट्रीय प्रवक्ताओं से आमंत्रित करके इस संघ ने अनेक महत्वपूर्ण कार्यशालाओ का आयोजन किया है जो वर्तमान में मौजूद विद्यालय मानोवैज्ञानिकों को सही दिशा में विकास करने में सहयोगी की भूमिका निभाती रही है।

विद्यालय मनोविज्ञान जब 6 मानकों पर खरा उतरेगा, तब उसे स्थापित माना जाएगाः

1) विद्यालय मनोविज्ञान में कार्यक्रम पाठ्यक्रम में विशिष्ट स्नातक प्रशिक्षण
2) विद्यालय मनोविज्ञान में विशिष्ट डॉक्टरेट कार्यक्रम
3) विद्यालय मनोवैज्ञानिक के रूप में योग्यता प्राप्त पेशेवरों की नियुक्ति
4) लाइसेंस प्राप्त चिकित्सा
5) पेशेवर संघों का गठन
6) शैक्षिक जर्नल द्वारा इस क्षेत्र के मुद्दो का प्रकाशन।

भारत में 6 में से 3 शर्तो में हम खरे उतर रहे हैं।

शर्त संख्या 1,3 व 4 यद्यपि भारत में ऐसे विद्यालय मौजूद हैं जो पेशेवरों अथवा मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञों की नियुक्तियां करने में सफल रहे हैं और जो छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी आवश्यकताओं को सही मायने में पूरा करने में समर्थ हैं। हमारे देश में मनोविज्ञान में अन्य विशेज्ञताओं पर विशिष्ट डॉक्टरेट की डिग्री प्रदान करने की व्यवस्था अभी विकसित नहीं हो पाई है। यह समस्या अभी तक लंबित है।

हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी) ने यूजीसी केयर लिस्ट (2020) की घोषणा की जिसका उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में प्रकाशित किए जाने वाले पुरानी परिपाटी के पत्र–पत्रिकाओं से छुटकारा दिलाना है। यू जी सी केयर के मानक पर खरा उतरने वाले पत्र–पत्रिका का प्रकाशन करना विषय विशेषज्ञों के लिए एक कठिन

कार्य है। फिर भी कुछ प्रसांगिक प्रकाशनों की व्यवस्था विद्यालय मनोविज्ञान को केंद्र में रखकर करा गया है। इसमें *जर्नल ऑफ इंडियन एकेडमी ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी* तथा *साइकोलॉजीकल स्टडीज* (स्प्रिंगर) प्रमुख है। अंतरराष्ट्रीय ख्याति की अन्य पत्रिकाओं में *कनाडियन जर्नल ऑफ स्कूल साइकोलॉजी* (सेज), *साइकोलॉजी इन स्कूल्स* (विली), *स्कूल साइकोलॉजी इंटरनेशनल* (सेज), *स्कूल साइकोलॉजी क्वाटर्ली* (अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन) तथा *स्कूल साइकोलॉजी रिव्यू* (टेलर एंड फ्रांसिज) आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

बॉक्स 1.3 : विद्यालय मनोविज्ञान संबंधित कुछ व्यवसायिक संगठनों की सूची	
एन ए एस पी	नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्कूल साइकोलॉजिस्ट्स
ए पी ए डिविजन	डिवीजन 16–स्कूल साइकोलॉजी, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन
आई एस पी ए	इंटरनेशनल स्कूल साइकोलॉजी एसोसिएशन
आई एन एस पी ए	इंडियन स्कूल साइकोलॉजी एसोसिएशन
ए एम पी ए सी एस	ऑस्ट्रेलियन साइकोलॉजिस्ट्स एण्ड कौंसलर्स इन स्कूल
सी ए एस पी ए	कैनेडियन एसोसिएशन ऑफ स्कूल साइकोलॉजिस्ट्स
ए पी एस पी ए	एशिया पेसिफिक स्कूल साइकोलॉजी एसोसिएशन

1.4 भारत में विद्यालय मनोविज्ञान का भविष्य

भारत में भविष्य में विद्यालय–मनोविज्ञान के विस्तार पाने व विकास करने का व्यापक संभावनाएं हैं। आईएनएसपीए जैसे संगठनों के लिए यह जरूरी है कि वे विद्यालय मनोवैज्ञानिकों के आवश्यक स्तरीय आकलन उपकरणों के विकास के लिए काम करें। भारत एक विविधताओं वाला तथा अनेक संस्कृतियों वाला देश है, यहां 22 भाषाओं में काम–काज होता है। अनुसंधानकर्ताओं तथा मनोमितीवादियों को आकलन के उपकरणों को खोजने के लिए ठोस प्रयास करने होंगे क्योंकि वह भी सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील हैं। एक बड़ी आवश्यकता यह है कि भारत में विद्यालय मनोविज्ञान परिषद की स्थापना की जाए जो विश्वविद्यालयों में विद्यालय मनोविज्ञान के व्यवसायिक परीक्षण संबंधित विशिष्ट नियमों का विकास कर सके। इस क्षेत्र के विकास के लिए नैतिक निर्देशों की व्याख्या किया जाना एक बड़ी जरूरत है। साथ ही योग्यता प्राप्त विद्यालय मनोविज्ञान पेशेवरों को लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया आरंभ करना जरूरी है। विद्यालय मनोविज्ञान नैदानिक उपयोग के बारे में जानकारी उत्पन्न करने के लिए यह जरूरी है कि क्षेत्र में अनुसंधान पर विशेष जोर दिया जाए। वर्तमान स्थिति यह है कि विद्यालय मनोविज्ञानी किसी ना किसी विद्यालय में अपनी परामर्शीय सेवाएं प्रदान करते हैं। हालांकि भविष्य में, मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों, निजी क्लीनिकों तथा अस्पतालों में विद्यालय मनोविज्ञानी तथा परामर्शदाता पदों का सृजन किया जा सकता है।

भविष्य में यह बहुत जरूरी है कि विद्यालय मनोविज्ञान अपने परिपेक्ष्य में एक बड़ा परिवर्तन लाए तथा विद्यालयों के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान करते हुए सामुदायिक आधार प्राप्त करें। इस बात को ध्यान में रखते हुए विद्यालय मनोवैज्ञानिक को व्यापक रूप से अपनी सेवाएं देनी चाहिए कि बच्चे के विकास में

विद्यालय, घर और समुदाय की परस्पर सहयोगी भूमिका होती है। इसके साथ ही विद्यालय मनोवैज्ञानिकों की भूमिका तथा महत्व को विद्यालय के अन्य पेशेवरो की तुलना में अलग हटकर देखा जाना चाहिए। बच्चों से जुड़ी समस्याओं के समाधान खोजते समय शिक्षक विद्यालय मनोविज्ञानियों से अव्यवहारिक अपेक्षाएं करने लगते हैं। बच्चों के बारे में सामने आने वाली ऐसी समस्याओं की जानकारी भी शिक्षक नहीं देते और जिन पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत होती है।

क्योंकि विद्यालय के प्रधानाचार्य तथा प्रबंधकों को यह जानकारी नहीं होती कि विद्यालय मनोवैज्ञानिकों की सेवाओं का अतिरिक्त लाभ कैसे उठाएं जाए अतः वे उसे अन्य अध्यापकों की तरह ही सामान्य शिक्षक मान लेते हैं और इस तरह उसके स्तर को कम करके आंकते हैं। यदि विद्यालय प्रबंधक, प्रशासन, शिक्षक, अभिभावक तथा बच्चे सभी का सहयोग तथा आपसी समय का इस्तेमाल हो तो विद्यालय मनोविज्ञानी की योग्यता व अनुभवों का अधिकतम लाभ उठाया जा सकता है। बच्चों से जुड़े सभी व्यक्ति सामूहिक प्रयास करें तो विद्यालय में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार लाया जा सकता है।

अपनी प्रगति की जाँच कीजिए 2

नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर सत्य या असत्य में दीजिए।

1) भारत में विद्यालय–मनोविज्ञान में डॉक्ट्रेट की डिग्री दी जाती है। (सत्य/असत्य)

2) भारत में विद्यालय मनोवैज्ञानिक चिकित्सा सेवा प्रदान करने का लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं (सत्य/असत्य)

3) विद्यालय मनोविज्ञान नैदानिक मनोविज्ञान परामर्शी मनोविज्ञान तथा शैक्षिक मनोविज्ञान के क्षेत्रो में अतिव्यापन करता है। (सत्य/असत्य)

4) भारत में विद्यालयों में जो विद्यालय मनोवैज्ञानिक रखे जाते हैं वे पारंपरिक रूप से नैदानिक अथवा परामर्श मनोविज्ञान में प्रशिक्षण प्राप्त होते हैं। (सत्य/असत्य)

5) विद्यालय मनोविज्ञान के व्यवसायिक शिक्षण की भूमिका तथा इसके योगदान को विद्यालय मनोवैज्ञानिक के रूप में समझने की भूल की जाती है। (सत्य/असत्य)

1.5 विद्यालय मनोवैज्ञानिक की भूमिका तथा उनके कार्य

भारत में मनोविज्ञान समस्याओं का पता लगाने तथा उनका समाधान तलाशने के मामले में पश्चिमी देशों के प्रतिमानों तथा तकनीकों पर निर्भर करता है। परंतु विद्यालय मनोविज्ञान के मामले में विद्यालय मनोवैज्ञानिक की भूमिकाओं तथा कार्यों में पश्चिमी देशों के प्रतिमान पर खरा नहीं उतरता है।

भारतीय शिक्षा प्रणाली भारतीय विद्यालयों में छात्रों में मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं के समाधान ठीक से नहीं दे पाती है। भारत में विद्यालय मनोवैज्ञानिक अभी विकासशील अवस्था में ही हैं। भारत के अनेक राज्यों में इस मामले में किसी भी स्वीकृत प्रतिमान का पालन नहीं किया जाता है। पूरे देश में जहां–जहां विद्यालयों मे विद्यालय मनोवैज्ञानिक नियुक्ति किए जाते हैं लगभग उन सभी में विसंगतियां देखने

को मिलती हैं। भारत में विद्यालय मनोवैज्ञानिकों से जिन भूमिकाओं तथा कार्यों की अपेक्षायें की जाती हैं उनका विवरण इस प्रकार है :–

1) **प्रत्यक्ष सेवायें :** भारत में विद्यालय मनोवैज्ञानिक, छात्रों के परामर्श के रूप में अपनी प्रत्यक्ष सेवाएं प्रदान करते हैं। छात्रों में विद्यालय-संबंधी, संबंधी तथा शिक्षा-संबंधी तनावों और युवाओं के बीच संबंधों को लेकर उत्पन्न होने वाली समस्याओं के समाधान प्रभावी ढंग से उनका मार्गदर्शन करते हुए विद्यालय मनोवैज्ञानिक परामर्शीय सेवाओं द्वारा करते हैं।

2) **आकलनः** विद्यालय मनोवैज्ञानिक आकलन का दायित्व भी निभाता है। उच्च स्तरीय शिक्षा के प्रशिक्षण के दौरान उन्हें प्रशिक्षण के सिद्धांत सिखायें जाते हैं तथा प्रशिक्षण में अंक प्रदान करने और प्राप्तांक विवरण तैयार करना भी सिखाया जाता है। कुछ शिक्षण संस्थान अल्पकालिक परामर्शदाता के रूप में छात्र को नौकरियों के लिए तैयारी करवाने, जैसे उच्च माध्यमिक छात्रों के अभिक्षमता परीक्षण, के उद्देश्य से विद्यालय मनोवैज्ञानिकों को आमंत्रित करते हैं। यदि किसी बच्चे में मनोविकार जैसी सम्भावना पाई जाती हैं तब उसके निदान हेतु विद्यालय मनोवैज्ञानिक अथवा मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता बच्चे के परिवार को परामर्श देते है कि उसे किसी मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सक को दिखाया जाए।

3) **विशेषज्ञ विमर्श :** आवश्यकता पड़ने पर विद्यालय मनोवैज्ञानिक जिन छात्रों के मामलों में विशेषज्ञ की राय जरूरी होती है उनके लिए विशेषज्ञ को आमंत्रित करके विभिन्न तरीकों से उन्हें सहयोग करता है।

   i) आजीविका के क्षेत्रों का सही चुनाव कराने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए विद्यालय मनोवैज्ञानिक विभिन्न क्षेत्रो के आजीविका विशेषज्ञों को आमंत्रित करते हैं तथा छात्रों को उनका मार्गदर्शन उपलब्ध कराते हैं। इससे छात्रों को सही आजीविका का चुनाव करने में मदद मिलती है तथा उनकी निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होती है।

   ii) समय प्रबंधन तथा ध्यान प्रबंधन हेतु इन क्षेत्रों के विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाता है प्रायः बोर्ड–परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन हेतु विद्यालय मनोवैज्ञानिक प्रायः ऐसे विशेषज्ञों को छात्रों के मार्गदर्शन हेतु बुलाते हैं।

   iii) विद्यालय स्टाफ के प्रशिक्षण में वे उनके दायित्वों का निर्वहन करने हेतु स्वयं विशेषज्ञ बनकर कार्य करते हैं।

   iv) विद्यालय मनोवैज्ञानिक ऐसे विषयों पर बात करने के लिए, जो अभिभावकों के लिए जरूरी होती हैं, अभिभावकों के साथ वार्ताओं का आयोजन करते हैं जैसे प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों के अभिभावकों को 'अच्छे स्पर्श' और 'बुरे स्पर्श' के बारे में बताया जाना, अभिभावकों को बच्चों के लिए पौष्टिक आहार पर बात करना, आदि।

4) **सुरक्षात्मक सेवाएं :** सामुदायिक मनोवैज्ञानिक जैसी भूमिका निभाने के लिए विद्यालय मनोवैज्ञानिक, विद्यालय में अधिक से अधिक छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बच्चों तथा अभिभावकों के बीच पहुंचकर उन्हें विभिन्न सुरक्षात्मक मामलों में आश्वस्त कराते हैं। जैसे विद्यालय में कुछ बच्चों या किसी विशेष बच्चे द्वारा अन्य साथी को डराने धमकाने की समस्याओं का

प्राथमिक समाधान निकालने के लिए विद्यालय मनोवैज्ञानिक सुरक्षात्मक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं जिनमें विद्यालय के वातावरण में सुधार लाने के उपाय बताए जाते हैं। ऐसी भूमिकाओं से उन्हें युवा छात्रों के बीच लोकप्रियता प्राप्त होती है। ऐसे मामलों में उच्च सुरक्षात्मक उपाय करने हेतु तंग करने वाले बच्चों की पहचान कर उन्हें वैसा ना करने की चेतावनी दी जाती है तथा पीड़ित बच्चों से संपर्क स्थापित कर उन्हें आश्वस्त किया जाता है।

5) **हस्तक्षेप :** विद्यालयों में बच्चों को बेहतर जीवन की शिक्षा दी जाती है तथा उन्हें आजीविका के लिए योग्यता प्राप्त करने में सहयोग दिया जाता है। परंतु पिछले 2 दशकों से इस बात पर अधिक जोर दिया गया है कि छात्रों को आवश्यक जीवन–कौशल उपलब्ध कराया जाए जिससे वे अपने जीवन को स्वस्थ्य तथा सफल बना सकें। जीवन–कौशल शिक्षा पर आधारित पाठ्यक्रमों की सीबीएसई विद्यालयों में व्यवस्था की गई है जो बच्चों को पारस्परिक सहयोग का कौशल महत्वपूर्ण चिंतन, निर्णय लेने की क्षमता, तनाव से सामना करने की क्षमता संवेगो का नियंत्रण रखने की क्षमता, आदि से संबंधित समुचित जानकारियां प्रदान करते हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका विद्यालय मनोवैज्ञानिक कि यह है कि वह छात्रों के लिए प्रशिक्षण जीवन–कौशल प्रशिक्षक के रूप में सदा उपलब्ध रहता है।

6) **परामर्श :** विद्यालय मनोविज्ञान, विद्यालयों में बच्चों के मनोवैज्ञानिक हितों के लिए समर्पित होता है। अतः उसकी भूमिकाएं छात्रों की शिक्षा संबंधी कठिनाइयों अथवा व्यवहारिक समस्याओं पर केंद्रित रहती है । विद्यालय मनोवैज्ञानिक छात्रों उनके अभिभावकों तथा शिक्षकों को बच्चों से जुड़ी समस्याओं के मामले में परामर्श देने का काम करता है। बच्चों की समस्याओं को सुलझाने में अभिभावकों तथा शिक्षकों की प्रायः प्रत्यक्ष भूमिका रहती है। ऐसे में विद्यालय मनोवैज्ञानिक की भूमिका उसके साथ तालमेल बिठाते हुए कार्य करने की होती है। जैसे, यदि नवीं कक्षा की लड़की अपनी कक्षा के साथी से संबंध बना लेती है तो इसका सही समाधान निकालने के लिए विद्यालय मनोवैज्ञानिक, लड़की के अभिभावकों से बात करते है तथा उन्हें परामर्श देते है कि ऐसे संवेदनशील मामलों को वह समझदारी के साथ सुलझाने का प्रयास करें।

7) **समावेशी शिक्षा :** दिव्यांगों तथा विशेष अवश्यकताओं वाले बच्चों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा देने में विद्यालय मनोवैज्ञानिक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। उनके लिए उपयुक्त शिक्षण पद्धति उपलब्ध करवाने विद्यालय में आधार–भूमि सुविधाओं की व्यवस्था करवाने तथा ऐसे बच्चों के प्रति सामान्य बच्चों को सहयोग पूर्ण व्यवहार की व्यवस्था करवाने विद्यालय मनोवैज्ञानिक का काम है। कुछ मामलों में आवश्यकता पड़ने पर विद्यालय, विशेष अवश्यकताओं वाले बच्चों के माता–पिता को उन बच्चों के अतिरिक्त सहयोग के लिए बच्चे के साथ रहने वाले शिक्षक (शैड़ो टीचर) की व्यवस्था करवाने की सलाह देते है। विशेष अवश्यकता के बच्चों की पहचान करने तथा हर तरह से उनका सहयोग करने के लिए विद्यालय मनोवैज्ञानिक सदा तत्पर रहते है। वह उनके लिए विद्यालय के बाहर विशेषज्ञ की व्यवस्था करवाता है, तथा विशेष अवश्यकताओं वाले बच्चे की पृष्ठभूमि के बारे में समुचित जानकारी एकत्रित कर बच्चे को असमानता की स्थिति से बाहर लाने का प्रयास करते हैं। वह उसकी स्थिति पर

लगातार नजर रखते है तथा उसकी बेहतरीकरण के उपाय करते रहते है। विद्यालय मनोवैज्ञानिक की भूमिका तथा उनके कार्य केवल इस तक ही सीमित नहीं रहते जितना अब तक बताया गया है। वह परामर्श देने, निरीक्षण करने, योजनाएं बनाने, बच्चों के हितों का समर्थन करने तथा प्रशासनिक कार्यों को भी कभी–कभी आवश्यकता पड़ने पर में भी भूमिका निभाते हैं। अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ के अनुसार ––*''विद्यालय मनोवैज्ञानिक व्यक्तिगत स्तर पर तथा व्यवस्था स्तर पर दखल देने के लिए तत्पर रहते हैं। वह ऐसे बच्चों तथा युवाओं के हितों के लिए आवश्यक योजनाओं का विकसित करने, उन्हें लागू करवाने तथा रचनात्मक वातावरण तैयार करवाने के लिए सदा तत्पर रहते हैं जो विपरीत पृष्ठभूमि से आते हैं। वे पूरा प्रयास करते हैं कि उनके साथ समानता का व्यवहार हो और उनके शिक्षा तथा मानसिक स्वास्थ्य में निरंतर सुधार हो''*। फिर भी विद्यालय मनोवैज्ञानियों को अपनी पेशेवर नैतिकता का पालन करना पड़ता है जिससे उनकी विश्वसनीयता तथा मनोवैज्ञानिक सेवाओं को कोई आंच न आए। इससे उनकी सेवाओं के क्षेत्रों का विकास होता है तथा उनका स्तर बना रहता है।

अपनी प्रगति की जाँच कीजिए 3

निम्नलिखित उदाहरणों में विद्यालय मनोविज्ञान की विशिष्ट भूमिका की पहचान कीजिए।

1) मोहित में अवधान न्यूवता/अतिक्रिया विकार का पता चला है और उसके सहयोग के लिए विद्यालय में सदा उसके साथ रहने वाले शिक्षक (शैड़ो टीचर) की आवश्यकता है।

.....

2) वाणिज्य संकाय के 12वीं कक्षा के छात्र कुशल को वाणिज्य के क्षेत्र में सही अजीविका के चुनाव के मामले में सहयोग के लिए सक्रिय बातचीत तथा जानकारी सत्रों के उद्देश्य से वाणिज्य क्षेत्र के पेशेवरों को आमंत्रित करना। .....

.....

3) अभिक्षमता परीक्षण के प्राप्तांकों के आधार पर कक्षा X की छात्रा प्रिया को जानकारी देना जिसके आधार या उसे तय करना है कि वह मानविकी या विज्ञान संकाय चुनें। .....

.....

4) अपने माता–पिता के तलाक के कारण प्रीता इतना परेशान हो गई कि उसे विद्यालय मनोवैज्ञानिक की सहायता लेनी पड़ी। .....

.....

5) विद्यालय मनोवैज्ञानिक स्व–जागरूकता के संबंध में कक्षा 5 के छात्रों को कक्षा गतिविधि करवाते हैं। .....

6) कक्षा चार की छात्रा नियति को गणित के सत्रीय कार्य पूरा करने में कठिनाइयां आ रही हैं। विद्यालय मनोवैज्ञानिक ऐसे छात्रों के बारे में गणित–शिक्षक को वैकल्पिक परामर्श देते है। .....

.....

7) आत्महत्या के मामलों में वृद्धि को देखते हुए बोर्ड की परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं द्वारा आश्वस्त करने से संम्बंधित योजना तैयार करना। .....

.....

1.6 सारांश

इकाई के अंत में उन सभी बिन्दुओं को संक्षेप में प्रस्तुत किया जाएगा जिनके बारे में अब तक पढ़ा हैं :

- भारत में विद्यालय मनोविज्ञान तथा परामर्श मनोविज्ञान, नैदानिक मनोविज्ञान, शैक्षिक मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान के बीच बहुत धुंधली सीमा रेखा है।
- वर्तमान समय में 'परामर्शदाता', 'विद्यालय परामर्शदाता' तथा ''विद्यालय मनोवैज्ञानिक'' में कोई भी अंतर नहीं माना जाता है।
- विद्यालय मनोविज्ञान और शैक्षिक मनोविज्ञान के बीच समानता है क्योंकि दोनों बच्चे के सीखने के वातावरण पर जोर देते हैं और छात्रों की शैक्षिक यात्रा को सफल बनाने में सहयोगी भूमिका निभाते है।
- विद्यालय मनोवैज्ञानिकों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे विभिन्न मानसिक स्वास्थ्य सम्बंधी समस्याओं से निपटने के लिए हस्तक्षेपीय तथा सुरक्षात्मक कार्यक्रम तैयार करेंगे, विद्यालय के शिक्षकों तथा अभिभावकों से परामर्श करेंगे तथा सार्थक कदम उठाएंगे।
- भारतीय विद्यालय मनोविज्ञान संघ (आईएनएसपीए) का गठन 2009 में प्रोफेसर बी. मुखोपाध्याय के निर्देशन में हुआ था, तथा यह अपनी दस वर्ष लंबी यात्रा (2009–2019) सफलतापूर्वक पूरी कर चुका है।
- भारत में विद्यालय मनोविज्ञान परिषद के गठन की आवश्यकता है जो विश्वविद्यालयों में विद्यालय मनोविज्ञान के व्यवसायिक प्रशिक्षण संबंधी नियमों का निर्माण करे, इस क्षेत्र के विकास के लिए नैतिक मार्गदर्शन के स्वरूप की व्याख्या कर सके, तथा विद्यालय मनोविज्ञान के क्षेत्र में काम करने वाले योग्यता प्राप्त पेशेवर मनोवैज्ञानिकों को लाइसेंस प्रदान कर सके।
- कुछ वर्षों से विद्यालय मनोविज्ञान एक अलग मनोवैज्ञानिक क्षेत्र के रूप में उभर कर आया है। तब से इस व्यवसाय में अनेक नई विशेषताएं जुड़ गई हैं, जो इसे नैदानिक मनोविज्ञान तथा परामर्श मनोविज्ञान जैसे मनोवैज्ञानिक क्षेत्रों से अलग करता है।
- विद्यालय मनोवैज्ञानिक छात्रों को परामर्शदाता के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर उन्हें प्रत्यक्ष रुप से सहयोग करते हैं। विद्यालय मनोवैज्ञानिक आंकलन का दायित्व भी निभाते हैं अपनी उच्च शिक्षा तथा प्रशिक्षण से प्राप्त योग्यताओं के

आधार पर वे परीक्षण का आयोजन करते हैं, उत्तर पुष्टिकर्ताओं की जांच करते हैं तथा रिपोर्ट तैयार करते हैं।

- विद्यालय मनोवैज्ञानिक आजीविका चुनने में छात्रों को सहयोग करते हैं। वे विभिन्न क्षेत्रों के आजीविका विशेषज्ञों को आमंत्रित करते हैं तथा छात्रों को उनका मार्गदर्शन उपलब्ध कराते हैं।
- विद्यालय मनोवैज्ञानिक प्राथमिक तथा उत्तरोत्तर निवारक सेवाओं के विकास के लिए कार्य करते हैं जिससे विद्यालय जाने वाले बच्चों में सुरक्षा की भावना बढ़े तथा अधिक से अधिक बच्चे विद्यालय जाएं।
- विद्यालय मनोवैज्ञानिक की एक महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि वह प्रशिक्षित जीवन कौशल प्रशिक्षक के रूप में छात्रों को सदैव उपलब्ध रहते है।
- अप्रत्यक्ष सेवा–प्रदान के रूप में विद्यालय मनोवैज्ञानिक छात्रों के अभिभावकों तथा शिक्षकों को किसी खास छात्रों से जुड़ी समस्याओं के मामले में सलाह देते हैं।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का शैक्षिक सेवाएं प्रदान करना विद्यालय मनोवैज्ञानिक का विशेष कार्य है।

1.7 मुख्य शब्द

विद्यालय मनोविज्ञान – मनोविज्ञान का वह क्षेत्र जिसमें मनोविज्ञानिक तथा शैक्षिक सेवाओं के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति काम करते हैं। उनका काम विद्यालयों, परिवारों तथा समुदायों से जुड़ी बच्चों तथा युवाओं की आवश्यकताओं को पूरा करना है जिसका उनके विकास मे बड़ा योगदान होता है।

शैक्षिक मनोविज्ञान – शिक्षा का एक विशिष्ट क्षेत्र जिसके अंतर्गत प्रभावी शिक्षण व अध्ययन की ऐसी प्रक्रिया आती है जिसे मार्गदर्शन व मनोवैज्ञानिक परीक्षण द्वारा पूरा किया जाता है। इस क्षेत्र के विशेषज्ञ बच्चों की विकासात्मक आवश्यकताओं पर नजर रखते हैं तथा अध्ययन के अनुकूल वातावरण उत्पन्न करते हैं।

चिकित्सीय मनोविज्ञान – मनोविज्ञान का एक विशेष क्षेत्र जिसमें जुड़े मनोवैज्ञानिक मानसिक स्वास्थ्य तथा व्यवहार सम्बंधी समस्याओं का निदान करते हैं।

परामर्श मनोविज्ञान – मनोविज्ञान का एक विशेष क्षेत्र जिसके केंद्र में संवेगात्मक, सामाजिक, शैक्षिक, विकासात्मक, स्वास्थ्य–सम्बंधी, व्यावसायिक तथा संगठनात्मक संदर्भ होते हैं।

प्राथमिक सुरक्षात्मक कार्यक्रम – इसके अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य की स्थितियों, व्यवहार सम्बंधित समस्याओं का समाधान इनके उत्पन्न होने से पहले ही किया जाता है। दूसरे शब्दों में, इनके मूल कारणों को जानने तथा उन पर ध्यान देने के उपाय किए जाते हैं।

द्वितीय सुरक्षात्मक कार्यक्रम – इनके अंतर्गत वे प्रयास आते हैं जो मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को कम करने तथा व्यवहार–सम्बंधी समस्याओं पर नियंत्रण करने के लिए किए जाते हैं। इस कार्यक्रम की मुख्य भूमिका से समस्याओं से 'प्रभावित' लोगों का पता लगाना है।

1.8 पुनरावलोकन प्रश्न

1) भारत में विद्यालय मनोविज्ञान की आवश्यकता तथा प्रसंगिकता पर प्रकाश डालिए।

2) विद्यालय मनोवैज्ञानिक की भूमिका का वर्णन कीजिए।

3) उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की व्याख्या कीजिए जो विद्यालय मनोविज्ञान की स्थापना, उसके वर्तमान स्तर तथा भविष्य की दिशाओं के लिए उत्तरदायी है।

4) विद्यालय मनोविज्ञान की वर्तमान स्थिति एंव संकाय के भविष्य के लक्ष्य पर चर्चा कीजिए।

5) विद्यालय मनोविज्ञान की परिभाषा दीजिए। मनोविज्ञान के अन्य क्षेत्रों से यह किस प्रकार भिन्न है ?

1.9 संदर्भ एंव पढ़ने के सुझाव

Jimerson, S. R., Skokut, M., Cardenas, S., Malone, H., & Stewart, K. (2008). Where in the world is school psychology? Examining evidence of school psychology around the globe. School Psychology International, 29(2), 131-144.

Oakland, T. D., & Cunningham, J. L. (1992). A Survey of School Psychology in Developed and Developing Countries. School Psychology International, 13(2), 99–129. https://doi.org/10.1177/0143034392132001

Oakland, T., & Saigh, P. (1987). Psychological services in schools: A summary of international perspectives. Journal of School Psychology, 25(3), 287-308.

Patwa, S. S., Peverly, S. T., Maykel, C., & Kapoor, V. (2019). Roles for school psychologists in the challenging Indian education landscape. International Journal of School & Educational Psychology, 7(2), 94-101.

Ramalingam, P. (2011). Prospects of School Psychology in India. Journal of the Indian Academy of Applied Psychology, 37(2), 201-211.

School Psychology. Retrieved from https://www.apa.org/ed/graduate/ specialize/ school on 25 Feb. 2021.

Shriberg, D., & Clinton, A. (2016). The application of social justice principles to global school psychology practice. School Psychology International, 37(4), 323-339.

Song, S. Y., Wang, C., Espelage, D. L., Fenning, P., & Jimerson, S. R. (2020). COVID-19 and School Psychology: Adaptations and New Directions for the Field.

Virudhagirinathan, B. S., & Karunanidhi, S. (2014). Current status of psychology and clinical psychology in India–An appraisal. International Review of Psychiatry, 26(5), 566-571.

1.10 ऑनलाइन संसाधन

Jimerson, S. R., Skokut, M., Cardenas, S., Malone, H., & Stewart, K. (2008). Where in the world is school psychology? Examining evidence of school psychology around the globe. School Psychology International, 29(2), 131-144.

Oakland, T. D., & Cunningham, J. L. (1992). A Survey of School Psychology in Developed and Developing Countries. School Psychology International, 13(2), 99–129. https://doi.org/10.1177/0143034392132001

Oakland, T., & Saigh, P. (1987). Psychological services in schools: A summary of international perspectives. Journal of School Psychology, 25(3), 287-308.

Patwa, S. S., Peverly, S. T., Maykel, C., & Kapoor, V. (2019). Roles for school psychologists in the challenging Indian education landscape. International Journal of School & Educational Psychology, 7(2), 94-101.

Ramalingam, P. (2011). Prospects of School Psychology in India. Journal of the Indian Academy of Applied Psychology, 37(2), 201-211.

School Psychology. Retrieved from https://www.apa.org/ed/graduate/specialize/school on 25 Feb. 2021.

Shriberg, D., & Clinton, A. (2016). The application of social justice principles to global school psychology practice. School Psychology International, 37(4),323-339.

Song, S. Y., Wang, C., Espelage, D. L., Fenning, P., & Jimerson, S. R. (2020). COVID-19 and School Psychology: Adaptations and New Directions for the Field.

Virudhagirinathan, B. S., & Karunanidhi, S. (2014). Current status of psychology and clinical psychology in India–An appraisal. International Review of Psychiatry,26(5), 566-571.

http://www.inspa.org/

http://cbseacademic.nic.in/web_material/HealthManual/HEALTH%2025
MANUAL%20VOL%201.pdf

http://cbseacademic.nic.in/web_material/Manuals/21st_Century_Skill_Handbook.pdf

https://in.pearson.com/blogs/2020/09/the-new-education-policy-and-its-effecton-mental-health.html

अपनी प्रगति की जाँच कीजिए के उत्तर

अपनी प्रगति की जाँच कीजिए 1

1) उच्चर शैक्षिक तनाव
2) नियमित स्वास्थ्य प्रशिक्षण, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य का प्रशिक्षण तथा शारीरिक स्वास्थ्य का प्रशिक्षण शामिल है।
3) चिकित्सा के लिए लाइसेंस
4) ऑनलाइन परामर्श तथा/अथवा चिकित्सा
5) चिकित्सीय मनोविज्ञान

अपनी प्रगति की जाँच कीजिए 2

1) असत्य
2) असत्य
3) सत्य
4) सत्य
5) सत्य

अपनी प्रगति की जाँच कीजिए 3

1) समावेशी सेवाएं
2) विशेष–वार्ता
3) मूल्यांकन
4) प्रत्यक्ष सेवाएं
5) हस्तक्षेपी सेवाएं
6) परामर्श
7) सुरक्षात्मक सेवाएं